महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :– रू0वि0 / सम्ब. / 2019 / 12107-17 दिनांक 01.10.2019

सेवा में,

प्रबन्धक
कृष्ण गोपाल महाविद्यालय,
नगीना– 246762 (बेजनौर) उ0प्र0

विषय: नगीना जनपद बिजनौर में गौशाला की भूमि पर अवैध कब्जा करके श्री कृष्णा गोपाल महाविद्यालय, नगीना द्वारा मान्यता प्राप्त किये जाने की शिकायत एवं जॉच के उपरान्त सम्बद्धता समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में सूच्य है कि श्रीमती अलका लोहाटी, अध्यक्ष, श्री कृष्णा गौशाला (रजि0) नगीना, 246762, जनपद बिजनौर निवास मानक चन्द स्ट्रीट, नगीना, बिजनौर के द्वारा गौशाला की भूमि पर अवैध कब्जा करके श्री कृष्ण गोपाल महाविद्यालय, नगीना, बिजनौर द्वारा मान्यता प्राप्त किये जाने की शिकायत प्राप्त हुयी। जिसके कम में जिलाधिकारी, बिजनौर को जॉच हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिलाधिकारी, बिजनौर की जॉच आख्या कम में माननीय कुलपति जी द्वारा एक जॉच समिति का गठन किया गया। जॉच समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.07.2019 के संकल्प संख्या 6.06 के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

जॉच समिति के मुख्य अंश व कार्यपरिषद का निर्णय निम्नवत् है:–

" उपरोक्त तथ्यों एवं जिलाधिकारी महोदय के पत्र दिनांक 24 जून, 2016 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान कृष्ण गोपाल महाविद्यालय, नगीना, बिजनौर गाटा संख्या 135 में स्थित है अन्य किसी खसरा में नहीं है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों के अवलोकन से समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कृष्ण गोपाल महाविद्यालय, नगीना, बिजनौर श्री कृष्ण गौशाला के भूमि पर निर्मित है। कृष्ण गोपाल महाविद्यालय, नगीना, बिजनौर की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति समिति करती है।"

निर्णय:–कार्यपरिषद द्वारा जॉच समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया तथा सम्बद्धता समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः कार्यपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय व कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 01.10.2019 के अनुपालन में कृष्ण गोपाल महाविद्यालय, नगीना, बिजनौर की सम्बद्धता समाप्त की जाती है तथा महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यकम के छात्र / छात्राओं (प्रथम / द्वितीय वर्ष / तृतीय वर्ष) को डी0वी0एम0 महाविद्यालय एण्ड टैक्निकल कालेज, हकीकतपुर सहसू, नगीना, बिजनौर कालेज कोड–757 में स्थानान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

डा0(सुनीता पाण्डेय)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बिजनौर।
3. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
4. परीक्षा नियंत्रक, एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
5. समन्वयक आन लाइन प्रवेश, एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
6. प्रभारी कम्पयूटर सेल को उपरोक्त का पालन किये जाने हेतु अवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।
7. डी0वी0एम0 महाविद्यालय एण्ड टैक्निकल कालेज, हकीकतपुर सहसू, नगीना, बिजनौर कालेज कोड–757 को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।
8. श्रीमती अलका लोहाटी, अध्यक्ष, श्री कृष्ण गौशाला (रजि0) नगीना, बिजनौर–246762 निवासी मानक चन्द स्ट्रीट, नगीना, बिजनौर।
9. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
10. प्रभारी बेवसाइट।

4/10/19

कुलसचिव